न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
18 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	23.03.2015	13.07.2022

डा0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री कुन्दन मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कुन्दन मल राकेश कुमार चोहठ्ठी बाजार निवाई जिला टोंक निवासी पुरानी तहसील के पास बड़ा जैन मन्दिर निवाई जिला टोंक

2–मैसर्स कुन्दन मल राकेश कुमार चोहठ्ठी बाजार निवाई जिला टोंक

...... अप्रार्थी

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।

2–अप्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी अनु.।

:–**निर्णय**–: दिनांक 13.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2014 को समय 05:24 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स कुन्दन मल राकेश कुमार चोहठ्ठी बाजार निवाई जिला टोंक पर पहुंचा वहां पर श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री कुन्दन मल जैन उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राकेश कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स कुन्दन मल राकेश कुमार चोहठ्ठी बाजार निवाई जिला टोंक का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में घी, तेल, गुड़, शक्कर, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **अजवाइन साबुत (रजवाडी) पोली पैक** 500–500 ग्राम के 11 नग पोली पैक प्लास्टिक के कट्टे में रखी हुई थी, जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **अजवाइन साबुत (रजवाडी) पोली पैक** वास्ते मानक स्तर की जांच विश्लेषण हेतु क्रय की जा रही हैं, 500–500 ग्राम के चार पैकेट खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रुपये देकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने खरीदशुदा **अजवाइन साबुत (रजवाडी) पोली पैक** 500–500 ग्राम के चार पैकेट को अलग–अलग चार साफ व सूखे चौकोर कागज के गत्ते के डिब्बों में 500–500 ग्राम प्रत्येक डिब्बे में रखा एवं प्रत्येक डिब्बों को ढक्कन से एयरटाइट नियमानुसार बन्द किया एवं अलग–अलग चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक I–818 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–818 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री कुन्दन मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कुन्दन मल राकेश कुमार चोहठी बाजार निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी किसी अन्य फर्म का कोई बिल पेश प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./14/33 दिनांक 10.12.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/521/एक्ट/2014/528 दिनांक 18.11.2014 अनुसार विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **अजवाइन साबुत (रजवाडी) पोली पैक** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Brand)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Brand)** स्तर का **अजवाइन साबुत (रजवाडी) पोली पैक** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 30.04.2015 को श्री अशोक कुमार गुप्ता एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 14.07.2016 को जवाब पेश कर बहस हेतु समय चाहा। परन्तु अभिभाषक अप्रार्थी को कई अवसर देने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई बहस नहीं की गई। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **अजवाइन साबुत**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(रजवाडी) **पोली पैक** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Brand)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **अजवाइन साबुत (रजवाडी) पोली पैक** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Brand)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री कुन्दन मल जैन पर शास्ति 75,000/– (अक्षरे पचहत्तर हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0